

प्रतिलिपि पत्र संख्या-ई.स.1622/जी.एस. दिनांक 07.08.2003 द्वारा कुलाधिपति जी के विशेष सचिव, राज्यपाल सचिवालय, राजभवन, लखनऊ सम्बोधित कुलसचिव छत्रपति शाह जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर ।

आपके पत्र संख्या-सी.एस.जे.एम.वि.वि./सम्ब./2447/03,दिनांक 03.6.2003 के संबंध में मुझे आपसे यह कहने का निर्देश हुआ है कि महामहिम कुलाधिपति महोदय ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा-37(2) के अधीन श्री राम प्रकाश पोरवाल महाविद्यालय, राजपुर, कानपुर देहात को स्नातक स्तर पर कला संकाय में हिन्दी साहित्य, अंग्रेजी भाषा, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, शिक्षाशास्त्र, संस्कृत तथा राजनीतिविज्ञान विषयों में स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिनांक 1.7.2003 से सम्बद्धता की स्वीकृति सहर्ष प्रदान कर दी है :-

1. संस्था उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या-2851/सल्लर-2-2003-16(92)/2002 दिनांक 02 जुलाई 2003 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं समय-समय पर इस विषय में निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी । विश्वविद्यालय द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त महाविद्यालय शासनादेश एवं अन्य सुसंगत नियमों का पूर्णरूपेण परिपालन किया जा रहा है ।
2. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली में वर्णित तथा शासन द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उक्त राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के सुसंगत प्रावधानों के अंतर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी ।

छत्रपति शाह जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर

सी.एस.जे.एम.वि.वि./सम्ब./2447/2003

दिनांक 20/08/03

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. प्रबन्धक, प्रबन्ध सभिति, श्री राम प्रकाश पोरवाल महाविद्यालय, राजपुर, कानपुर देहात को इस आशय से प्रेषित है कि महामहिम कुलाधिपति महोदय के आदेशानुसार निम्नलिखित का अनुपालन करना सुनिश्चित करें । माननीय कुलाधिपति जी के आदेशानुसार वर्णित विषयों में प्रवेश प्रक्रिया दिनांक 27.8.2003 तक सम्पन्न कर ली जाये ।
2. सहायक कुलसचिव(परीक्षा) सी.एस.जे.एम.वि.वि. विश्वविद्यालय, कानपुर
3. सहायक कुलसचिव(अतिगोपनीय), सी.एस.जे.एम.वि.वि. विश्वविद्यालय, कानपुर
4. सिस्टम मैनेजर, कम्प्यूटर विभाग, सी.एस.जे.एम.वि.वि. विश्वविद्यालय, कानपुर
5. ईन्चार्ज, ई.डी.पी.सेन्टर, सी.एस.जे.एम.वि.वि. विश्वविद्यालय, कानपुर

o/c

(आपका 10 के 0 पाठ है य)
कुलसचिव



प्रबन्धक
श्री राम प्रकाश पोरवाल महाविद्यालय
राजपुर कानपुर देहात

प्रतिलिपि पत्र संख्या-2585/सलर-6-2007-2(204)/2001 दिनांक 03.10.2007 द्वारा अनुसचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-6, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ सम्बोधित कुलसचिव, छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर ।

उपरोक्त विषयक आपके पत्रांक सी०एस०जे०एम०वि०वि०/सम्ब/1204/2007 दिनांक 28.06.2007 के संदर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निर्देश हुआ है कि उ०प्र०राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973(यथा संशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अध्यादेश, 2007) की धारा-37(2) के अधीन श्री राज्यपाल श्री राम प्रकाश पौरवाल महाविद्यालय, राजपुर, कानपुर देहात को स्नातक स्तर पर विज्ञान संकाय के अंतर्गत भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, जन्तु विज्ञान, ए वनस्पति विज्ञान विषयों में स्वयंसेवक नियुक्ति योजनान्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिनांक 01.07.2007 से सम्बद्धता की सठम स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. संस्था उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी शासनदेश संख्या-2851/सलर-2-2003-16(92)/2002, दिनांक 2 जुलाई 2003 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं समय-समय पर इस विषय में निर्गत आदेशों-का पालन करेगी ।
2. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिणयमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के सुसंगत प्रावधानों के अंतर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी ।

छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर


सी०एस०जे०एम०वि०वि०/सम्ब/2418/2007

दिनांक 23/10/07

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रबन्धक, श्री राम प्रकाश पौरवाल महाविद्यालय, राजपुर, कानपुर देहात को इस आशय से प्रेषित है कि महामहिम कुलाधिपति महोदय के उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करें । माननीय कुलपति जी के आदेशानुसार यह भी सूचित करना है कि प्राचार्य, शिक्षकों का अनुमोदन पत्र, नियुक्ति पत्र, न्वानिय पत्र एवं अनुबन्ध पत्र(आयाचित्र सहित) तथा प्रबन्धक का शपथ पत्र (आयाचित्र सहित) विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराया जाना और महामहिम कुलाधिपति महोदय के सम्बद्धता पत्र में दृष्टित शर्तों की पूर्ति/निरन्तरता बनाये रखना सुनिश्चित कराया जाए ।
2. उप कुलसचिव(परीक्षा) सी०एस०जे०एम०वि०वि०/सम्ब/1204/2007, कानपुर ।
3. सिस्टम मैनेजर, सी०एस०जे०एम०वि०वि०/सम्ब/1204/2007, कानपुर ।
4. ईचार्ज, ई०डी०पी०सेन्टर, सी०एस०जे०एम०वि०वि०/सम्ब/1204/2007, कानपुर ।

(महेश चन्द्र)
कुलसचिव
28/10/07
19.10.07


प्रबन्धक
श्री राम प्रकाश पौरवाल महाविद्यालय
राजपुर कानपुर देहात

TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY PART-III. SECTION-4

F.NRC/NCTE/F-7/UP-3143/155 MEETING/2010 /17233

Dated:

20 FEB 2010

ORDER

WHEREAS in terms of Section 14(1) of the NCTE Act, 1993 Shri Ram Prakash Porwal Mahavidyalaya, Khasra No. 166, VPO- Rajpur, Tehsil- Sikandara, District- Kanpur Dehat, U.P. had submitted an application to the Northern Regional Committee of NCTE for grant of recognition/permission for starting B.Ed Course of One year duration with an annual intake of 100 (One Hundred only) students on 13.10.2008.

2. AND WHEREAS on scrutiny/perusal of the application submitted by the institution, the documents attached therewith, the affidavit and the input received from the visiting team in the form of report and videography, recommendation of the State Government, the Committee was satisfied that the institution/society fulfills the requirements under the provisions of NCTE Act, Rules and relevant Regulations including the Norms and Standards for the Secondary Teacher Education Programme such as instructional facilities, infrastructural facilities, library, accommodation, financial resources, laboratory etc. for running the Programme and has selected/appointed duly qualified teaching staff as per NCTE norms.

3. NOW, THEREFORE, in exercise of the powers vested under Section 14(3) (a) of the NCTE Act, 1993, the Northern Regional Committee hereby grants permission to Shri Ram Prakash Porwal Mahavidyalaya, Khasra No. 166, VPO- Rajpur, Tehsil- Sikandara, District- Kanpur Dehat, U.P. for conducting B.Ed Course of Secondary (Level) of One year duration with an annual intake of 100 (One Hundred only) Students from the academic session 2009-2010 under clause 7(11) of NCTE Regulation, 2007 notified on 10-12-2007 subject to fulfilment of the following conditions as per the clarification from the NCTE HQs letter No. File No. 43-3(1)/2008/NCTE (N&S) dated 01/10/2009 and 06.10.2009.

The admissions of students shall be made only after affiliation by the examining body before the commencement of the academic session and the admission of the students shall be completed well before the cut off date prescribed by the examining body for the academic session 2009-2010, failing which the recognition will be effective from the academic session 2010-2011 only.

Formal orders for recognition/permission will operate for 2009-2010 only if the requirement of 180 teaching days in the session is fulfilled as per calendar of the University/Affiliating Body.

4. The institution shall, within one month of the receipt of recognition order, convert the endowment fund and reserve fund accounts into joint accounts to be operated along with an officer of the Northern Regional Committee.

5. The institution shall comply with the various other norms and standards prescribed in the NCTE regulations, as amended from time to time.

6. The institution shall make admission only after it obtains affiliation from the examining body in terms of clause 8(12) of the NCTE Regulations, 2007 notified on 10-12-2007.

7. Further, the recognition is subject to fulfilment of all such other requirements as may be prescribed under relevant norms and standards of NCTE for other regulatory bodies like UGC, the State Government etc, wherever applicable.

Cont..2



प्रबन्धक

श्री राम प्रकाश पोरवाल महाविद्यालय
कानपुर देहात

8. The Institution shall submit to the Regional Committee a Self-Appraisal Report at the end of each academic year along the statement of annual accounts duly audited by a Chartered Accountant together with statement of T.D.S. in respect of the salary paid to the staff. A copy of the format is enclosed with the order.

9. If the institution contravenes any of the above conditions or the provisions of the NCTE Act, Rules, Regulations and Orders made or issued there under, the Regional Committee shall withdraw the recognition as stipulated provisions of Section 17(1) of the NCTE Act.

10. The institution shall maintain & update its Web-site as per provisions of NCTE Regulations and always display following as mandatory disclosure: -

- Copy of the Application Form
- Land and Building Particulars
- Staff Profile
- Recognition letter
- Information for having fulfilled the norms & standard and other required conditions.

11. In case if the land is in the name of the Society, you must transfer the land within six month in the name of the institution failing to which action shall be initiated to withdraw the recognition. It shall be essential on the part of the institution concerned to get the needful done in this regard and intimate the respective Regional Committee along with the new land document within the stipulated time.

Regional Director
Tel. No. 0141-2623501

The Manager to Govt. of India
Department of Publications, (Gazette Section)
Civil Lines, Delhi - 110 054

C.C.

- (1) The Principal, Shri Ram Prakash Porwal Mahavidyalaya, Khasra No. 166, VPO- Rajpur, Tehsil- Sikandara, District- Kanpur Dehat, U.P.
- (2) The Secretary Education, Govt. of Uttar Pradesh, Secretariat, Lucknow, U.P.
- (3) The Registrar, C.S.J.M. University, G.T. Road, Kanpur, U.P.
- (4) The Director, Directorate of Higher Education, I/C Teacher Education, Govt. of Uttar Pradesh, Directorate, Allahabad- U.P.
- (5) The US (Computer), National Council for Teacher Education, Hans Bhawan, Wing-II, Bhadurshah Zafar Marg, New Delhi - 110 002.
- (6) Office Order file/ Institution file.

Regional Director

प्रतिलिपि पत्र संख्या- संख्या- 63/सत्तर-6-2011-2(172)/2010 दिनांक 07.07.2011 द्वारा अनुसंधित,
उच्च शिक्षा अनुभाग-6, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ संशोधित कुलसचिव, छत्रपति शाहू जी महाराज
विश्वविद्यालय, कानपुर।

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक सी०एस०जे०एम०वि०वि०/संख्या/1048/2011 दिनांक 30.05.2011 के
संदर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निर्देश हुआ है कि राज्य सरकार ने उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम
1973 (पद्यासंशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम, 2007) की धारा-37(2) के अधीन श्री
रामप्रकाश पौरवाल महाविद्यालय, राजपुर, रमाबाई नगर (कानपुर देहात) को स्नातक स्तर पर शिक्षा संकाय के
अंतर्गत बी०एड० पाठ्यक्रम में 100 सीटों की प्रवेश क्षमता सहित स्ववित्त पोषित योजनांतर्गत शैक्षिक सत्र
2010-11 के परीक्षाफल के अभाव में दिनांक 01.07.2011 से शैक्षिक सत्र 2011-12 हेतु निम्नलिखित शर्तों के
अधीन सम्बद्धता की पूर्वानुमति प्रदान कर दी है:-

1. शैक्षिक सत्र 2010-11 का परीक्षाफल शासनादेश के अनुसार होने एवं सामूहिक नकल में आरोपित नहीं
होने की स्थिति में सत्र 2011-12 के सम्बद्धता की शर्त पूर्वानुमति के प्रश्नगत आदेश को सम्बद्धता
(स्थाई) की बिना किसी शर्त के पूर्वानुमति मानते हुए दिनांक 01.07.2011 से विश्वविद्यालय स्तर से
सम्बद्धता (स्थाई) आदेश निर्गत किए जाएंगे तथा एतद्विषयक आदेश की प्रति तत्समय शासन को
दुपलव्य कराया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।
2. संस्था शासनादेश संख्या-2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002, दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित
सुसंगत दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत अन्य सुसंगत शासनादेशों का पालन
करेगी।
3. महाविद्यालय/संस्थान द्वारा बी०एड० पाठ्यक्रम में शासन द्वारा अनुमन्य समस्त सीटों को सुसंगत एवं
अद्यतन शासनादेश के अनुसार किसी शैक्षिक सत्र में होने वाली संयुक्त प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित एवं
काउन्सिलिंग के माध्यम से आवंटित अभ्यर्थियों के माध्यम से ही भरा जाएगा तथा राष्ट्रीय अध्यापक
शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार शैक्षिक दिवसों में पठन-पाठन कराया जाएगा।
4. संस्था राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित मानकों को पूर्ण तथा उनकी निरन्तरता को
सुनिश्चित करेगी एवं परिषद द्वारा निर्धारित समस्त शर्तों का अनुपालन करेगी।
5. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिणियमावली/अधिनियम में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय
द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जाएगा, तो
उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के सुसंगत प्रावधानों के अंतर्गत संस्था को प्रदान की गई
सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।


छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर

सी०एस०जे०एम०वि०वि०/संख्या/ 1048 /2011

दिनांक 10/7/11

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अनुसंधित, उच्च शिक्षा अनुभाग-6, उ०प्र० शासन, लखनऊ को उपर्युक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक
07.07.2011 के अनुपालन में इस आश्रय से पृष्ठान्कित है कि प्रश्नगत महाविद्यालय का बी०एड०
पाठ्यक्रम का वर्ष 2011 का परीक्षाफल घोषित हो गया है जो 60 प्रतिशत से अधिक है। अतः
महाविद्यालय को वर्णित पाठ्यक्रम में दिनांक 01.07.2011 से सम्बद्धता प्रदान की जाती है।
2. प्रबन्धक, श्री राम प्रकाश पौरवाल महाविद्यालय, राजपुर, रमाबाई नगर (कानपुर देहात)।
3. उप कुलसचिव (परीक्षा) सी०एस०जे०एम०वि०वि०/संख्या/1048/2011, कानपुर।
4. सिस्टम मैनेजर, सी०एस०जे०एम०वि०वि०/संख्या/1048/2011, कानपुर।
5. ईचार्ज, ई०डी०पी०सेन्टर, सी०एस०जे०एम०वि०वि०/संख्या/1048/2011, कानपुर।


प्रबन्धक


(सत्यद वकील कुसेम)
कुलसचिव

श्री राम प्रकाश पौरवाल महाविद्यालय
राजपुर कानपुर देहात

TO BE PUBLISHED IN GAZETTE OF INDIA PART-III, SECTION-4

File No. NRC/NCTE/UP-3143/270th Meeting (Part-1)/2017/176492 Date: -

2 JUN 2017

Order

WHEREAS, the institution, Shri Ram Prakash Porwal Mahavidyalaya, VPO - Rajpujr, Tehsil - Sikandra, Distt. - Kanpur, UP was recognized by NRC vide Order No. NRC/NCTE/F-7/UP-3143/155th Meeting/2010/17233 dated 20.02.2010 for B.Ed. course for 100 seats.

WHEREAS, in exercise of the powers conferred by Sub-section (2) of Section 32 of the National Council for Teacher Education Act, 1993(73 of 1993) and in supersession of the National Council for Teacher Education (Recognition Norms and Procedure) Regulations, 2009, the National Council for Teacher Education notified the NCTE Regulations, 2014 on 01.12.2014.

AND, WHEREAS, as per the Guidelines issued by NCTE Hqrs., the institution submitted affidavit for compliance of NCTE Regulations, 2014.


AND, WHEREAS, the institution was issued revised order on 06.06.2015 for conducting B.Ed. programme of two years duration with an annual intake of 100 students (two basic units of 50 students each) from the academic session 2015-2016.

AND, WHEREAS, the institution submitted an affidavit on 22.05.2017 with a request to reduce the seats of B.Ed. Course from two basic units of 50 students each to one basic unit of 50 students.

AND, WHEREAS, the matter was placed before the NRC in its 270th meeting held from 29th to 30th May, 2017. The Committee considered the matter and decided that the request of the institution to reduce the number of seats from 100 (two basic units of 50 students each) to 50 (one basic unit of 50 students) to run B.Ed. course is accepted.

NOW, THEREFORE, the Northern Regional Committee hereby reduces the number of seats of B.Ed. course from 100 (two basic units of 50 students each) to 50 (one basic unit of 50 students) of Shri Ram Prakash Porwal Mahavidyalaya, VPO - Rajpujr, Tehsil - Sikandra, Distt. - Kanpur, UP.

By order,



(Satish Gupta)
Regional Director(I/C)

The Manager,
Govt. of India Press,
Department of Publications, (Gazette Section)
Civil Lines, Delhi - 110 054



प्रबन्धक


श्री राम प्रकाश पोरवाल महाविद्यालय
राजपुर कानपुर देहात

Cont...2

(2)

Copy to: -

1. The Manager/Secretary,
Shri Ram Prakash Porwal Mahavidyalaya Samiti,
Plot No. 150, Police Chauki on Nughal Road,
Rajpur, Sikandara, Kanpur, Uttar Pradesh-209115.
2. The Principal/Correspondent,
Shri Ram Prakash Porwal Mahavidyalaya,
VPO - Rajpur, Tehsil - Sikandra,
Distt. - Kanpur, UP
3. The Registrar,
C.S.J.M. University,
G.T. Road, Kanpur, U.P.
4. The Principal Secretary,
(Higher Education) Govt. of Uttar Pradesh,
UP Civil Secretariat, Annexe Bhawan 5th Floor,
Room No. 501, Lucknow-226001, Uttar Pradesh..
5. The Secretary,
Ministry of Human Resource Development,
(Deptt. Of School Education and Literacy),
Shastri Bhawan, New Delhi - 110001.
6. The US (EDP),
National Council for Teacher Education,
Hans Bhawan, Wing-II, Bhadurshah Zafar Marg,
New Delhi-110002.
7. The Computer Programme, NRC-NCTE for uploading on website.
8. Institution File.
9. Guard file.


Regional Director(I/C)

F. No. NRC/NCTE/UP-3143/2017/177877

Dated:

17 JUL 2017

Corrigendum

Please refer to Order No. F. No./NRC/NCTE/UP-3143/270th Meeting (Part-1)/2017/176492-97 dated 02nd June. The District mentioned in the said order may be please be read as "Kanpur Dehat" instead of "Kanpur".


The other contents of the said order shall remain unchanged.


(Satish Gupta)
Regional Director (I/C)

The Manger to Govt. of India,
Department of Publications, (Gazette Section)
Civil Lines, Delhi-110 054

Copy to: -

1. The Manager/Secretary,
Shri Ram Prakash Porwal Mahavidyalaya Samiti,
Plot No. 150, Police Chauki on Nughal Road,
Rajpur, Sikandara, Kanpur Dehat, Uttar Pradesh-209115.
2. The Principal/Correspondent,
Shri Ram Prakash Porwal Mahavidyalaya,
VPO - Rajpujr, Tehsil - Sikandra,
Distt. - Kanpur Dehat, UP.
3. The Registrar,
C.S.J.M. University,
G.T. Road, Kanpur, U.P.
4. The Principal Secretary,
(Higher Education) Govt. of Uttar Pradesh,
UP Civil Secretariat, Annexe Bhawan 5th Floor,
Room No. 501, Lucknow-226001, Uttar Pradesh..
5. The Secretary,
Ministry of Human Resource Development,
(Deptt. Of School Education and Literacy),
Shastri Bhawan, New Delhi - 110001.


प्रबन्धक
श्री राम प्रकाश पोरवाल महाविद्यालय
राजपुर कानपुर देहात

6. The US (EDP),
National Council for Teacher Education,
Hans Bhawan, Wing-II, Bhadurshah Zafar Marg,
New Delhi-110002.
7. The Computer Programme, NRC-NCTE for uploading on website.
8. Institution File.
9. Guard file.

J. D. S.
Regional Director(I/C)

No. F. NRC/NCTE/UP-3143-B.Ed. /313th (Part-2) Meeting /2021/ 213926

To

Dated:

16 APR 2021

✓ The Principal,
Shri Ram Prakash Porwal Mahavidyalya,
Plot/Khasra No. - 166, Village/Town - Rajpur,
Post Office - Rajpur, Tehsil/Taluka - Sikandara,
Town City - Rajpur, District - Kanpur Dehat - 209115,
State - Uttar Pradesh,

Subject: Decision of 313th (Part-2) Meeting of NRC held on 25th to 27th February, 2020 regarding.

Sir/Madam,

The matter of the institution was considered by the NRC in its 313th (Part-2) Meeting held on 25th to 27th February, 2020 and the Committee decided as under:


1. The Committee considered the matter and decided that reply submitted by the college is satisfactory so no further action is required. The institution may be informed accordingly.

Yours faithfully,


15/4/21
(Dr. Rammurti Meena)
Regional Director

Copy to:-

1. **The Manager / Secretary,**
Shri Ram Prakash Mahavidyalya Samiti,
Plot/Khasra No. 150 (Near Police Chauki,
Street NO. Mughal Road, Village/Town - Rajpur,
Tehsil/Taluka - Sikandara, Town City - Rajpur,
District - Kanpur Dehat - 209115,
State - Uttar Pradesh.


प्रबन्धक
श्री राम प्रकाश पोरवाल महाविद्यालय
राजपुर कानपुर देहात

197340
TO BE PUBLISHED IN GAZETTE OF INDIA PART -III, SECTION 4

File No. NRC/NCTE/NRCAPP- 3301, NRCAPP- 3621, NRCAPP- 3795,
 NRCAPP- 3892, NRCAPP- 4155, NRCAPP- 3553/ 236th
 Meeting/2015

Dated:-

6 MAY 2015

RECOGNITION ORDER

WHEREAS in terms of section 14(1)/15(1) of the NCTE Act, 1993, the institutions had submitted applications to the Northern Regional Committee of NCTE for grant of recognition for Teacher Education Courses:

2. AND WHEREAS on scrutiny/perusal, veracity of the facts & figures as per the application submitted by these institutions, the documents attached therewith, the affidavit and the input received from the visiting team in the form of visiting team report including videography and also the reply submitted by the institution against letter of intent under clause 7(13) of the NCTE Regulations, 2014 (earlier 7(9) of the NCTE Regulations, 2009), the Northern Regional Committee in its 236th meeting from April, 29th -30th and 1st -2nd May, 2015 is satisfied that the institution/society fulfils the requirements under the provisions of NCTE Act, Rules and relevant Regulations including the Norms and Standards for the concerned Teacher Education Programme, such as, instructional facilities, infrastructural facilities, library, accommodation, financial resources, laboratory, etc. for running the programme and has selected/appointed duly qualified teaching staff as per NCTE norms.

3. NOW, THEREFORE, in exercise of the powers vested under Section 14(3)(a)/15(3)(a) of the NCTE Act, 1993, the Northern Regional Committee hereby grants recognition to the following Institutions for conducting Teacher Education Course with an annual intake mentioned against their names from the academic session 2015-2016 under clause 7(16) of NCTE (Recognition Norms & Procedure) Regulations, 2014 subject to fulfilment of the conditions mentioned below :-

S. No	File No.	Name of the Institution	Course	Duration	Approved annual intake	Name of the Affiliating Body
1.	NRCAPP 3301	Safi Degree College Plot No. 42, Khasara NO. 42, Street Number- Bisalpur, Village/Town- Bisalpur, Post office- Bisalpur, Tehsil/Taluka- Bisalpur, Town/City- Bisalpur, State- UP, District- Pilibhit (UP), Pin Code -262201	D.El.Ed.	2 years	50 (1 unit)	SCERT, Nishatganj, Lucknow, Uttar Pradesh
2.	NRCAPP 3621	Shri Ram Prakash Porwal Mahavidyalaya Plot/Khasara No- 166, Vill- Rajpur, Post Office- Rajpur, Tehsil- Sikandra, Distt- Kanpur Dehat, Pin Code- 209115, UP.	D.El.Ed.	2 years	50 (1 unit)	SCERT, Nishatganj, Lucknow, Uttar Pradesh
3.	NRCAPP 3795	Adya Prasad Kashi Prasad College of Education Plot/Khasara No- 1245,1246, Plot No.1245,1246, Street Number-1213, Vill-Faridabad, Post Office- Balwarganj, Teh/Taluk- Machhalishahar, Town/City- Sujanganj, Dist- Jaunpur District,	D.El.Ed.	2 years	50 (1 unit)	SCERT, Nishatganj, Lucknow, Uttar Pradesh

कार्यालय : राष्ट्रीय मण्डल, जीवन निधि-1, भवानी सिंह मार्ग, जयपुर-302 005 (राजस्थान)
 कार्यक्षेत्र : उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चण्डीगढ़, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान
 Phone No. 0141-2744288, 2744635, Fax : 0141-2744173

Office : 4th Floor, Jeevan Nidhi-II, L.C. Building, Ambedkar Circle
 Bhawani Singh Marg, Jaipur -302 005 (Rajasthan)

Jurisdiction : U.P., Uttaranchal, Delhi, Haryana, Punjab, Chandigarh, N.E./Bihar
 E-mail : nrc@ncte-india.org Website : www.ncte-india.org

प्रमल

कामता प्रसाद सिंह,
अनु सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में

निदेशक,
राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद,
उ०प्र०, लखनऊ।

शिक्षा अनुभाग-11

लखनऊ: दिनांक 14 अक्टूबर 2015

विषय- निजी संस्थान श्री राम प्रकाश पोरवाल महाविद्यालय, प्लाट/खसरा नं० 166, ग्राम/पोस्ट राजपुर, तहसील सिकन्दरा, कानपुर देहात को बी०टी०सी० पाठ्यक्रम के संचालन हेतु सम्बद्धता के संबंध में।

गर्हादेश

उपरोक्त विषयक मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निजी संस्थान श्री राम प्रकाश पोरवाल महाविद्यालय, प्लाट/खसरा नं० 166, ग्राम/पोस्ट राजपुर, तहसील सिकन्दरा, कानपुर देहात को शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरांत राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा दो वर्षीय बी०टी०सी० पाठ्यक्रम के संचालन हेतु दी गयी मान्यता विषयक निर्गत आदेश में अंकित शर्तों तथा निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन शैक्षिक सत्र 2015-16 से 50 (पचास) सीटों की सम्बद्धता प्रदान की जाती है-

- (1) संस्थान द्वारा लगातार प्राप्त एवं सुरक्षित कोष को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा समय-समय पर सशोधित मानकों के अनुसार नवीनीकृत एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के पक्ष में बन्धक रखना होगा।
- (2) जिन मानकों एवं शर्तों के अधीन राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता एवं राज्य सरकार द्वारा सम्बद्धीकरण दिया गया है उसमें राज्य सरकार की पूर्वानुमति के बिना संस्थान द्वारा कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा। संस्थान पर एन०सी०टी०ई० तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर बनाये जाने वाले नियम लागू होंगे।
- (3) गेजटल दिव्हिंग कोड के अनुसार भवन की उपयुक्तता एवं अग्निशमन से सम्बन्धित उपायों को संस्थान द्वारा मानकों के अनुसार सदैव सुनिश्चित किया जायेगा।
- (4) प्रशिक्षणार्थियों हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की गयी प्रवेश प्रक्रिया आरक्षण के नियम, परीक्षा शुल्क, अन्य कोई भी चार्ज, परीक्षा को समय-सारिणी तथा पाठ्यक्रम संस्थान पर बाध्यकारी होगा।
- (5) सम्बद्धता निर्गत होने के दो माह की अवधि में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मानक के अनुसार विधिवत तयमित संख्या सदस्यों का अनुमोदन सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ०प्र०, इलाहाबाद से प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जाना होगा। यह अभिलेख स्थायी होंगे, जिन्हें सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ०प्र०, इलाहाबाद एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा स्थायी रूप से रखा जायेगा।
- (6) संस्थान द्वारा अपनी वेब-साइट राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की वेबसाइट के साथ डाइरेक्टली की जायेगी तथा अपेक्षित सूचनाओं का उल्लेख वेब-साइट पर किया जायेगा।
- (7) प्रस्तुत संस्थान को राज्य स्तरीय समिति की बैठक दिनांक-22.09.2015 के कार्ययुक्त में की गयी संस्तुति के आधार पर बी०टी०सी० पाठ्यक्रम के संचालन हेतु शैक्षिक सत्र 2015-16 से 50 (पचास) सीटों की सम्बद्धता प्रदान की जा रही है।

उपरोक्त सम्बद्धता भूमि भवन आदि के सम्बन्ध में एन०सी०टी०ई० के दिशा निर्देशों के अधीन होगी।

भवदीय,

(कामता प्रसाद सिंह)

अनु सचिव।


संख्या-1459 (1)/15-11-2015, तददिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, हंस भवन, 01 बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली, पिन-110002
- 2- क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, चौथी मंजिल, जीवन निधि-II, एल०आई०सी० विस्डिंग, अम्बेडकर सर्किल, भवानी सिंह मार्ग, जयपुर 302005, राजस्थान।
- 3- सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ०प्र०, इलाहाबाद।
- 4- प्राचार्य, जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान, सम्बन्धित जनपद।
- 5- सचिव/प्रबन्धक, श्री राम प्रकाश पोरवाल महाविद्यालय, प्लाट/खसरा नं० 166, ग्राम/पोस्ट राजपुर, तहसील सिकन्दरा, कानपुर देहात।
- 6- गार्ड फाइल।


प्रबन्धक

श्री राम प्रकाश पोरवाल महाविद्यालय
राजपुर कानपुर देहात

आज्ञा में,

(कामता प्रसाद सिंह)
अनु सचिव।